न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— विनोद कुमार मल्हौत्रा, (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09/2024	29.08.2024	12.05.2025

अनवान

1. श्री अख्तर खां पुत्र श्री अकरम खां जाति पठान(मुसलमान), उम्र 58 वर्ष निवासी स्टेशन गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री मुबारक खान पुत्र श्री फजलू रहमान जाति मंसूरी (मुसलमान) उम्र 62 वर्ष निवासी स्टेशन गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

1. अंजुमन कमेठी गांव गंगरार जरियेः—
   1.श्री कय्यूम मंसूरी पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन मंसूरी, अध्यक्ष अंजूमन कमेठी गांव गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. श्री इस्माईल खां पुत्र करीम खां जाति पठान सचिव अंजुमन कमेठी गांव गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

2. ग्राम पंचायत गंगरार जरियेः—
   1.सरपंच, ग्राम पंचायत गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

   2.ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

::— निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994, विरूद्व ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 ::—

उपस्थितिः— अधिवक्ता गोपाल बिलवाल (निगराकार सं. 01 व 02)
अधिवक्ता अल्ताफ पठान (गैर निगराकार)
ग्राम विकास अधिकारी (गैर निगराकार संख्या 02
(अनुपस्थित)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

—::: निर्णय::—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारन के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा आराजी नम्बर 1967/4419 बिलानाम सरकार पर विपक्षी संख्या 01 को निशुल्क आवासीय 02 पट्टा विलेख संख्या 01 व पटटा संख्या 02 दिनांक 14.10.2019 को जारी किया। पट्टा संख्या 01 क्षेत्रफल 15*140 फिट एवं पडौस पूर्व में अंजुमन कमेठी गांव गंगरार, पश्चिम– ईदगाह कब्रिस्तान मुस्लिम समाज गंगरार, उत्तर– आम रास्ता व दक्षिण– कब्रिस्तान हैं। पट्टा संख्या 02 का क्षेत्रफल 15*150 फिट हैं, जिसके पडौस पूर्व– आम रास्ता, पश्चिम– अंजुमन कमेठी गांव गंगरार ईदगाह, उत्तर– आम रास्ता व दक्षिण– कब्रिस्तान हैं। विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा पट्टा विलेख की आड़ में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर निमार्ण करने की कोशिश की जिससे निगरानीकार को पट्टों की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत गंगरार ने विपक्षी संख्या 01 को भुखण्ड की साईज, किस्म, उपयोग, चारो दिशाओं की लम्बाई–चौड़ाई का नाप चौख किये बगैर कब्रिस्तान के रूप में उपयोग आ रही कब्रिस्तान की भूमि को पंचायत की भूमि बताकर ग्राम पंचायत की पूर्ण कोरम की बैठक आहूत किये बगैर, पत्रावली एवं रिकार्ड कायम किये बगैर सरपंच ने मनमाफिक रूप से पट्टे जारी किये। कथीत आदेश/संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.08.2019 के अनुसरण में पट्टा अविलेख नं. 01 एवं 02 दिनांक 14.08.2019 बिना किसी आदेश के जारी किये जाकर निष्पादित किये गये। प्रार्थीगण स्टेशन गंगरार के निवासी हैं, कब्रिस्तान भी स्टेशन गंगरार की आबादी में ही स्थित है, जिससे असंतुष्ट व दुखित होकर यह निगरानी निम्नाकिंत आधारो पर प्रस्तुत हैं:–

यह कि ग्राम पंचायत का आदेश पंचायत अधिनियम एवं पंचायत नियम के प्रावधानों के विपरित तथ्यों से परे, मनमाफिक रूप से पारित किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत के यहां पुराने गृहों के नियमतिकरण के आधर पर पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पुराने गृहों/निमार्ण के आधार पर रियायती दर पर निःशुल्क धारा 157 के अंतर्गत पट्टे जारी किये। ग्राम पंचायत में ऐसे कोई आवेदन मौजूद नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 की पात्रता के संबंध में कोई जांच, कार्यवाही, नोटिस जारी नहीं की गई। पात्रता के संबंध में किसी प्रकार से कोई दस्तावेज की विवेचना भी नहीं की गई। विपक्षी संख्या 02 द्वारा पंचायत नियम की एवं प्रावधानों की सरदेस्त अवहेलना कर राजकोष को हानि पहूंचाकर बगैर पट्टा शुल्क राशि प्राप्त किये निशुल्क निर्धारित नियमों एवं पात्रता की शर्तों की पूर्ति किये बगैर विपक्षी संख्या 01 को आवेदन कर पट्[illegible] जारी किये जो अपास्त योग्य है।

ग्राम पंचायत ने विधि अ[illegible]र [illegible] पंचों एवं पड़ौसियों की उपस्थिति में नाप चौख किये बगैर क[illegible] आ रही भूमि के पट्टे विलेख जारी किये। आराजी नम्बर 1967/4419 बडी विशाल भूमि होकर वहां पर दरगाह, ईदगाह व कब्रिस्तान बने हुए है। प्रश्नगत पट्टा विलेख संख्या 01 व 02 साईज 15*140 एवं 15*150 फिट होकर इसके उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान दर्शाया है। जबकि प्रश्नगत पट्टे विलेख की भूमि कब्रिस्तान का भाग होकर मुर्दो के दफन होने के लिए गत 100 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग होती चली आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

है। इस कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल का निमार्ण है। इस बाउन्ड्रीवाल के अंदर कब्रिस्तान की भूमि पर विवादित पट्टे जारी कर दिये है। इस प्रकार यह भूमि कभी भी बिलनाम ग्राम पंचायत की भूमि नहीं होकर वक्फ कब्रिस्तान की भूमि रही। विपक्षी संख्या 01 को जारी पट्टा विलेख के पड़ौस एवं भूमि का नाप मौंके से मिलान नहीं होता है। पंचायत द्वारा बिना पर्चा मौका बनाए पट्टा विलेख जारी किये जो अपास्त योग्य है।

विपक्षी संख्या 2(1) ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सं. 01 को पुराने गृहों के नियमितिकरण हेतु पट्टे जारी करने का प्रावधान है। विपक्षी सं. 01 एक धार्मिक संस्थान होकर विधि के अनुसार धार्मिक संस्थान को पंचायत भूमि का पट्टा 157 के अंतर्गत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 01 का इस पर कभी भी पुराना कब्जा उपयोग नहीं रहा। पंचायत द्वारा नियमानुसार धार्मिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की हैं। विपक्षी सं. 01 को पट्टा विलेख जारी किये जाना विधि विरूद्व है। जिससे पट्टा विधि अनुसार स्वतः ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 01/ आवेदक द्वारा पट्टा जारी होने के 02 वर्ष के अन्दर कोई निमार्ण नहीं किया । प्रश्नगत भूमि पर आज दिनांक तक कोई भी निमार्ण नहीं हैं। विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 से मिलकर कब्रिस्तान की भूमि के मुख्य मार्ग पर आने से दुकान/व्यवसायिक उपयोग में लेने हेतु व्यवसायिक साईज का पट्टा विलेख जिनमें 15 फिट गहराई एवं 140 फिट चौड़ाई एवं 15*150 फिट के पट्टे विलेख जारी किये। ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 60 फिट रखे जाने हेतु मध्य बिन्दु से 30 फिट छोड़ने के उपरांत भूमि का नियमतिकरण करने के आज्ञापक प्रावधान है। सड़क के मध्य से 30 फिट छोड़ने के उपरांत नियमतिकरण योग्य काई भूमि शेष नहीं रहती है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करने से पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है।

निगरानीकार ने विपक्षी सं. 02 से पट्टे का संबंध में रिकार्ड चाहा तो विपक्षी सं. 1(2) ने विपक्षी सं. 01 के राजनैति प्रभाव में नकल दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने का कथन कर पट्टों की नकल एवं रिकार्ड देने से इन्कारी कर दी। जिससे से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं. 01 संस्था का वर्तमान में अध्यक्ष श्री कय्यूम मसूंरी को विपक्षी सं. 1(1) का वर्ष 2019 में सरपंच था। जिस ने कूटरचना कर बगैर किसी प्रकार से विधिक प्रक्रिया अपनाये कूटरचना कर एक दस्तावेज बना दिया और विपक्षी सं. 01 प्रश्नगत दस्तावेज की आड़ में कब्रिस्तान की भूमि में दखल करना चाहते है।

पंचायत के रिकार्ड के आधार एवं गहन रूप से अवलोकन करने एवं विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2024 के प्रदत्त सूचना से यह तथ्य स्थापित होता है कि पंचायत द्वारा कभी भी पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 विपक्षी सं. 01 को जारी नहीं किये। तत्कालिक स[illegible]यूम के विपक्षी सं. 01 के संस्था के अध्यक्ष होने से सचिव/ग्राम [illegible] कर अथवा कूटरचना कर विधि विपरित रूप से पत्रावल[illegible] पट्टा विलेख बना लिये।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के संबंध [illegible] आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पंचायत नियम 148 के अंतर्गत आवेदित भूमि के पडौस एवं पत्ते का अंकन कर कोई उजरदारी नोटिस करने हेतु पत्रावली कायम नहीं की न हीं उजरदारी सूचना पत्र जारी किये । अतः पंचायत द्वारा जारी किये पट्टे विलेख निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जि[illegible]क्टर
[illegible]भाटा (चित्तौड़गढ़)

पक्षकार गंगरार तहसील के निवासी होने से तथा उक्त भूमि तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होने से श्रवणाधिकार आप न्यायालय में है। अतः प्रार्थना पत्र है कि निगरानी निगराकार प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा विपक्षी संख्या 01 को संकल्प सं. 03 दिनांक 20.08.2019 के अनुसार निष्पादित पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारन को जरिये नोटिस से तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत गंगरार से मूल अभिलेख तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 01(1,2) की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये। अधिकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

गैर निगराकार संख्या 01(1,2) की और से दिनांक 18.11.2024 को जवाब निगरानी पेश किया जाकर निवेदन किया कि निगरानी की निगरानी के तथ्यः– गलत होने से अस्वीकार है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 01 व 02 में चारों दिशाओं का नाप चोप करके पूर्ण कोरम की बैठक करके पत्रावली व रिकार्ड कायम करने के बाद उक्त पट्टे जारी किये तथा पंचायत ने आदेश व संकल्प का पूर्ण अनुसरण कर पट्टा विलेख संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 को निष्पादित किये उक्त पट्टे कब्रिस्तान की भूमि में आवंटित नहीं किये जबकि आबादी भूमि खसरा संख्या 1967/4419 रकबा 0.5700 हैं. आबादी में से उक्त पट्टे आवंटित किये है।

पंचायत नियम एवं प्रावधानों के अनुसार ही उक्त दोनों पट्टे आबादी भूमि में से जारी किये हैं।अंजुमन कमेटी गांव गंगरार द्वारा उक्त आबादी भूमि में से पट्टे जारी करने हेतु वर्षों से ग्राम पंचायत में आवेदन देती आ रही थी, दिनांक 05.01.2018 को अंजुमन कमेटी गंगरार द्वारा ग्राम पंचायत में एक आवेदन दिया था कि उक्त भूमि पर वर्षों से अंजुमन कमेटी गंगरार का कब्जा होने एवं उपयोग उपभोग करने से उक्त भूमि का आवंटन अंजुमन कमेटी को किया जावें। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन को स्वीकार कर उक्त पट्टे जारी किये थे तभी से अंजुमन कमेटी वहां पर काबिज होकर निमार्ण करवा रखा है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया अपनाई है और नोटिस भी जारी किये एवं पूर्ण कोरम की बैठक करके मिसल के आधार पर उक्त दोनों पट्टे अंजुमन कमेटी को जारी किये हैं। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम एवं प्रावधानों की सरदेस्त अवहेलना नहीं की हैं।

ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा विधि अनुसार तीन पंचों की नियुक्ति की गयी और जगह का नाप चोप किया गया एवं अंजुमन कमेटी गंगरार का उस पर कब्जा माना इसके बाद ग्राम पंचायत ने उक्त आराजी नं. 1967/4419 में से अंजुमन कमेटी को उक्त पट्टे जारी किये। और खसरा सं. 1966 रकबा 0.3200 हैंक्टर किस्म बनी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसमें अली सैयद् बाबा की दरगाह बनी हुई हैं और उसी में ईदगाह अंजुमन कमेटी गांव गंगरार द्वारा बना रखी हैं। उसी भूमि में निगराकार स्टेशन गंगरार ने अवैध रूप से कब्रिस्तान बना [illegible] जो भूमि अंजुमन कमेटी गांव गंगरार को जारी पट्टा संख्या 01 व 02 के [illegible] में स्थित है। पट्टा सं. 01 जिसकी साईज 15*150 जिसके [illegible] रास्ता, दक्षिण में– कब्रिस्तान, पूर्व में– आम रास्ता व पश्चिम में– अंजुमन कमेटी [illegible] गंगरार ईदगाह तथा पट्टा सं. 02 की साईज 15*140 जिसके पड़ौस उत्तर में– आम रास्ता, दक्षिम में– कब्रिस्तान, पूर्व में– अंजुमन कमेटी गावं गंगरार व पश्चिम में– ईदगाह मुस्लिम समाज गंगरार स्थित है। प्रश्नगत भूमि है जिस पर अंजुमन कमेटी गांव गंगरार द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

तीन चरणों में स्वयं के खर्चे से करावाया उस पर रोंगन करवाया जिसके समस्त बिल एवं हिसाब किताब अंजुमन कमेटी गांव गंगरार के पास मौजूद हैं। अंजुमन कमेटी गांव गंगरार एक रजिस्टर्ड संस्था होकर वर्षों से ईदगाह एवं अली सैयद बाबा की दरगाह एवं उक्त प्रश्नगत जमीन की देखरेख करती आ रही हैं एवं उसमें होने वाले समस्त खर्चों का वहन भी अंजुमन कमेटी द्वारा ही किया जाता रहा हैं। ग्राम पंचायत गंगरार ने पट्टा विलेख के पडौस एवं भूमि का पूर्ण माप चोप कर एवं पंचायत द्वारा पर्चा मौका बनाकर उक्त पट्टा विलेख जारी किये जाकर उक्त पट्टे अंजुमन कमेटी को जारी किये हैं।

पंचायत रिकार्ड अनुसार न्यायालय में विपक्षी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब शपथपत्र में अवैध कब्रिस्तान को माना है परन्तु यह अवैध कब्रिस्तान उक्त आबादी भूमि खसरा सं. 1967 / 4419 में मौजूद न होकर खसरा सं. 1966 में मौजूद हैं। उक्त अवैध कब्रिस्तान पर किसी प्रकार का बाउण्ड्रीवाल नहीं हैं। ग्राम पंचायत गंगरार ने किसी नियम व प्रावधान की अवहेलना नहीं की हैं ना ही कब्रिस्तान भूमि में पट्टा देने की कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत गंगरार ने आबादी भूमि 1967 / 4419 किस्म आबादी में से उक्त दोनों पट्टे जारी किये हैं। अवैध कब्रिस्तान दर्ज रेकार्ड नहीं हैं।

ग्राम पंचायत ने किसी भी नियम एवं प्रावधान की अवहेलना नहीं की है। सचिव के प्रारूप में पंचायत एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ही पर्चा मौका बनाया, प्रस्ताव लिया एवं कोरम में रखा व पढकर सुनाया आपत्तियां आमंत्रित की एक माह का समय दिया एवं आपत्तियों की चस्पांगी किया गया एवं पर्चा मौका पर गवाह एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाये मौका निरीक्षण किया एवं वहां पर अंजुमन कमेटी गंगरार का कब्जा माना व किसी भी प्रकार का विवाद नहीं माना तत्पश्चात ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम की एवं ग्राम की बैठक का आयोजन कर उसमें प्रस्ताव सं. 07 में पट्टे जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया एवं पूर्ण व वैध कार्यवाही करते हुए अंजुमन कमेटी गंगरार को जारी किये। उक्त पट्टे हेतु प्रस्तुत मिसले ग्राम पंचायत गंगरार के रिकार्ड में मौजूद हैं।

ग्राम पंचायत पट्टे जारी करने हेतु अपने नियमों के अनुसार स्वतंत्र है। ग्राम पंचायत गंगरार ने अंजुमन कमेटी का उक्त प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा माना जो पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पंचायत ने पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार उक्त पट्टे जारी किये है।

पट्टे जारी होने के बाद पट्टाधारक अंजुमन कमेटी गांव गंगरार में पट्टा जारी दिनांक के एक वर्ष के अंदर ही पट्टा सं. 01 व 02 की भूमि पर निमार्ण कार्य करवाया है जो मौके पर मौजूद है। उक्त प्रश्नगत भूमि जो कि खसरा सं. 1967 / 4419 कभी भी कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं रही है। पूर्व में वर्ष 2014 से पहले बिलानाम थी एवं वर्ष 2014 के बाद आबादी [illegible] आ गयी और इसी भूमि में से ग्राम पंचायत गंगरार ने अंजुमन क[illegible] 02 जारी किया है। जिस पर अंजुमन कमेटी गंगरार काबिज होकर [illegible] उपभोग कर रही है। उक्त दोनों पट्टों के सामने मुख्य मार्ग 30 फिट चौड़ाई [illegible] बना हुआ है ओर उक्त दोनों पटटों के दक्षिण दिशा में ओर आबादी भूमि पडी हुई है उस आबादी भूमि के बाद अवैध कब्रिस्तान खसरा सं. 1966 जो कि अली सैय्द बाबा की बनी के नाम से दर्ज रेकार्ड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उसमें बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना नहीं की हैं।

विपक्षी सं. 01 संस्था का अध्यक्ष कय्यूम मंसूरी वर्ष 2019 में सरपंच था सही है। लेकिन उक्त पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की कोई कुटरचना नहीं की हैं। ना ही कब्रिस्तान क़ी भूमि में दखल दिया है। क्योंकि कब्रिस्तान अली सैय्द बाबा की बनी की दरगाह में अवैध रूप से बना हुआ है और उक्त पट्टे अवैध कब्रिस्तान के उत्तर दिशा में स्थित आबादी भूमि में से ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा जारी किये गये है।

ग्राम पंचायत गंगरार ने नियम एवं प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना करते हुये दिनांक 14.10.2019 को पट्टा संख्या 01 व 02 जारी किये है। विपक्षी सं. 01 ने सरपंच रहते हुए सचिव ग्राम विकास अधिकारी से किसी प्रकार की कोई मिली भगत नहीं की है एवं न हीं कोई कुटरचना की हैं बल्कि मिसले आमंत्रित कर कोरम की बैठके आयोजित कर पत्रावलियां एवं प्रस्ताव कायम कर सभी वार्ड पंचों की सहमति एवं उनके हस्ताक्षर करवाकर पंचायती राज. अधिनियम के तहत उक्त दोनों पट्टे जारी पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किये हैं।

ग्राम पंचायत गंगरार ने पूर्ण रूप से नियमानुसार पट्टे के संबंध में आपत्ति एवं उजरदारी नोटिस जारी कर पत्रावली कायम कर उजरदारी सूचनापत्र जारी किये एवं ग्राम पंचायत के गेट के बाहर उजरदारी नोटिस चस्पांगी किये एवं सूचना जारी कर उक्त पट्टे जारी किये है।

ग्राम पंचायत ने लम्बित आवेदन पर निर्णय बहुमत एवं न्यूनतक अगणपूर्ति के अनुसार गणपूर्ति कर राज. पंचायतीराज अधिनियम के तहत पूर्ण प्रक्रिया अपना कर उक्त पट्टे जारी किये हैं।

विपक्षी सं. 01 ने पट्टा विलेख के आधार पर निगराकार के कब्रिस्तान की भूमि में कभी दखल नहीं दिया है और ना ही कब्जा करने की कोशिश की बल्कि गिगराकार एवं उनके 21 सहयोगीयों ने दिनांक 28.06.2024 को विपक्षी सं. 01 अंजुमन कमेटी गंगरार की वक्फ सम्पत्ति खसरा सं. 1966 अली सैयद की बनी एवं ईदगाह एवं उक्त दोनों पट्टों की भूमि के चारों तरफ अंजुमन कमेटी गंगरार द्वारा स्वयं के खर्चे पर बनाई गई दिवाल पर निगराकार एवं उसके 21 सहयोगियों के नाम लिखकर एवं दिवार पर सीसी टीवी केमरे लगाकर एवं गेट सं. 3 एवं 01 पर ताला लगा दिया जिस हेतु अंजुमन कमेटी गंगरार द्वारा थाना गंगरार में दिनांक 24.07.2024 को अंजुमन कमेटी गंगरार द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगरार के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सीसी टीवी केमरे एवं अवैध रूप से लिखे गये नामों एवं लगाये गये तालो को हटाने हेतु रिपोर्ट पेश की जिस पर उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाईश करवाई और निगराकार एवं उसके सहायोगियों को वहां से तुरन्त प्रभाव से नाम हटाने व ताले खोलने व सीसी टीवी हटाने हेतु कहा जिस पर निगराकार नहीं माने एवं मनमर्जी बनावटी एवं दस्तावेज साक्ष्यों के उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 29.08.2024 द्वारा विकास अधिकारी भैंसरोडगढ को मूल तलबीदा अभिलेख/पत्रावली प्रेषित करने हेतु लिखा गया। जिसके के क्रम ग्राम विकास अधिकारी गंगरार पंचयायत समिति गंगरार द्वारा पत्र क्रमांक/ग्रा.प./294 दिनांक

अति. जिला कलक्टर

20.01.2025 कर प्रकरण में उपलब्ध मूल अभिलेख /पत्रावली प्रेषित किये गये जो कि पत्रावली हम किता है।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि मौके पर कब्जा हमारा हैं। हमने निगरानी पेश की हैं जो पट्टे दिनांक 14.10.2019 दोनों पट्टे एक ही दिवस में जारी हुए है। पट्टा संख्या 01 व 02 जो कि आराजी नम्बर 1967/4419 रकबा 0.57 हैक्टर में से अन्तर्गत धारा 157(1) के तहत जारी किये गये हैं। आराजी नं. 1967/4419 मूल आ.न. 1967 है जो ग्राम रास्ता दर्ज हैं। इस में से पृथक होकर 1967/4419 बना हैं। रकबा 0.57 हैक्टर आबादी ग्राम पंचायत गंगरार को मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास एवं गरीब बेघर परिवारों के पात्र परिवारों को आवंटन है। आराजी नम्बर 1967/4419 बडी विशाल भूमि होकर वहां पर दरगाह, ईदगाह व कब्रिस्तान बने हुए है। विवादित भूमि कब्रिस्तान का भाग होकर मुर्दो के दफन होने के लिए गत 100 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग होती चली आ रही है। विपक्षी सं. 01 को एक धार्मिक संस्थान होकर विधि के अनुसार धार्मिक संस्थान को पंचायत भूमि का पट्टा अंतर्गत धारा 157(1) के अंतर्गत पट्टा जारी किया गया हैं। जो पंचायतीराज अधिनियम के विधि विरूद्व है। विवादित भूमि पर मकान बने हुए नहीं हैं जो फोटोग्राफ से प्रमाणित होते है। विवादित भूमि पर कोई मानव निवास नहीं हैं ना ही झोपड़िया स्थित हैं। आराजी नं. 1967/4419 में से पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 को तत्कालिक सरपंच कय्यूम मंसूरी द्वारा जारी किए गये। दोनों पट्टे अंजुमन कमेटी गांव गंगरार के नाम से जारी किए गये। केवल मात्र बाउण्ड्रीवाल बनी हुयी हैं। अंजुमन कमेटी स्टेशन गंगरार का कब्जा हैं। पट्टे से संबधित प्रक्रिया को विधि अनुरूप नहीं अपनाया गया हैं। ना ही गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये, ना ही आम सूचना भी जारी नहीं की गयी है। अतः पट्टे नियमो व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार कबूल कर रहे है कि वहां कब्रिस्तान है तो उसका क्या रिकार्ड हैं। आबादी भूमि के बाद अवैध कब्रिस्तान हैं। अभी और आबादी भूमि खाली पड़ी हैं। आराजी नं. 1966 रकबा 0.32 हैक्टर अली सैयद् बाबा के नाम रिकार्ड भूमि हैं। इस जगह पर अवैध कब्रिस्तान बना रखा हैं। उसी जगह ईदगाह बनी हुई हैं, इसी के उत्तर दिशा में आराजी नं. 1967/4419 रकबा 0.57 है. भूमि जो वर्ष 2014 में आबादी भूमि में आने से पहले बंजड भूमि थी। इस भूमि के पश्चिम दिशा में 1966 के जुडें में आगे की ओर रास्ते की तरफ हमारा ही कब्जा था। ईदगाह, दरगाह व अवैध कब्रिस्तान सभी अली सैयद बाबा के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि पर बने हुए हैं। हमारा भुखण्ड कभी भी आ.न. 1966 का हिस्सा कभी नहीं रही हैं। वर्ष 2014 में आबादी में आने से पहले से ही हमारा कब्जा वर्षों से रहा हैं। दिनांक 05.01.2018 को इस भूमि को आवंटन हेतु ग्राम पंचायत गंगरार प्रार्थना प[illegible] प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2017 को प्रस्ताव लिया गया। [illegible] के हस्ताक्षर करवाये। धारा 157 (1) में पुराने कब्जे के आधा[illegible]न हैं। पट्टा संख्या 01 व 02 की मिसल बनाई गयी है। संपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर ही पट्टे जारी किये गये हैं। हमारी संस्था राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं। तथा हमारा ही कब्जा रहा है। इस निगरानी को बनावटी आधार पर प्रस्तुत किया जो खारिज योग्य हैं। जो विधि अनुसार सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(10)पराविं /विधि/संशोधन /2004/3690 दिनांक 13.12.2024 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है, जो शक्तियों इस न्याायलय को प्राप्त है।

हमने पत्रावली का औद्यौपांत अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

157. Regularisation of old houses.

1.Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed[during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]	Rs. 200/-

(2) Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत गंगरार से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहा यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है। किन्तु [illegible] भूमि मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास एवं गरीब बेघर परिवारों के पात्र [illegible] तथा विवादित भूमि पर 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने [illegible] है। इस प्रकार जारी किए गये पट्टे संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 मूल [illegible] से नियम 157 (1) की पूर्ण पालना नहीं करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि में से पट्टा संख्या 01 दिनांक 14.10.2019 का क्षेत्रफल 2250 वर्गफिट व पट्टा सं. 02 दिनांक 14.10.2019 का क्षेत्रफल 2100 वर्गफिट हैं। जो कि आराजी नं. 1967/4419 में से ली गयी हैं। तथा एक ही दिनांक 14.10.2019 कुलिया 4350 वर्गफिट भूमि पट्टा एक ही संस्था को जारी किया गया है। जबकि नियम 157 के प्रावधानुसार 300 वर्गगज तक भुखण्ड निर्मित हो ओर अधिकतम 300 वर्गगज (2700 वर्गफिट) से अधिक भुखण्ड पर डीएलसी का 25 प्रतिशत शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता हैं। यहॉ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आराजी नं. 1967/4419 में से 4350 वर्गफिट एक ही धार्मिक संस्था के नाम पर 02 पट्टे एक ही दिनांक को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही संस्था को 300 वर्गगज से अधिक भुखण्ड पर डीएलसी का 25 प्रतिशत शुल्क नहीं लेकर पट्टे जारी किये गये हैं।

इस प्रकार दोनों पट्टे किसी एक संस्था को जारी जारी किए गये है जो नियम 157 (1) के प्रावधानों के बिल्कुल विपरित हैं। क्योंकि नियम 157 (1) किसी व्यक्ति द्वारा बनाये गए पुराने गृहों के विनियमितकरण का प्रावधान करता हैं, ना कि किसी संस्था के संबंध में प्रावधान करता हैं। विवादित भुखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा जारी सूचना पत्र बाबत् आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितीकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित पर किसी प्रकार की सार्वजनिक स्थान पर चस्पांगी नहीं हैं। इसका रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जो कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विरूद्व हैं।

ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई तथा विधिक प्रक्रिया में भी त्रुटि की है। अतः ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 (01), (02) के कथित पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 14.10.2019 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगरार एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंगरार को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 12/05/2025 को लिखाया जाकर सुनाया।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त कलेक्टर
रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested